

## Employees State Insurance Corporation WAGE/CONTRIBUTORY RECORD FOR DIABLEMENT BENEFIT

ESIC-32

Insurance No.		nployer's ode No.
<ol> <li>Local Office to which attached</li> <li>Date of entry</li> <li>Name and Address of employer</li> </ol>		
6. Department The wage/contributory record in res mentioned employee is as under :	spect of the above	Signature & stamp of employer
If injury occured after commencement of first Benefit period of insured person.	If injury occured before commencement of the First Benefit Period but after expiry of First Wage Period in the contribution period in which injury occured.	If injury occured before commencement of the First Benefit period and before expiry of the first wage period in the contribution period in which injury occured.
Α	В	С
1. Benefit period in which the employment injury occured.         From	<ol> <li>Contribution period in which injury occured.</li> <li>From</li></ol>	<ul> <li>(i) Amount of wages actually earned or which would have been earned had the injured person worked for a full day on the day of accident.</li> <li>Rs</li> <li>(i) Whether monthly/fortnighty/ weekly daily rated</li> <li>2 Average daily wage</li> <li>Rs</li> </ul>
<ul> <li>I. Daily Standard Benefit Rate corresponding to wage Group Rs</li> <li>II. Daily rate of Disablement Benefit Rs</li> <li>Prepared by</li> </ul>		Checked with contribution wage record and found correct. Investigating officer/LOM Approved by

Checked by .....

Manager Branch Office



बीमा संख्या.....

## कर्मचारी राज्य बीमा निगम

एसिक-32

नियोजक की कोड संख्या.....

अपंगता हितलाभ के लिए मजदूरी/अंशदान संबंधी रिकार्ड

1. चोटग्रस्त व्यक्ति का नाम		
2. स्थानीय कार्यालय जिससे संलग्न है		
3. प्रविष्टि की तारीख	4. चोट लगने की तारीख	
5. नियोजक का नाम और पता		
6. विभाग	पता	
ऊपर उल्लिखित कर्मचारी के संबंध में मजदूरी⁄	अंशदान	
संबंधी रिकार्ड इस प्रकार हैः		नियोजक के हस्ताक्षर और मोहर
यदि चोट बीमाकृत व्यक्ति के प्रथम हितलाभ की अवधि शुरु होने के बाद लगी हो।	प्रथम हितलाभ शुरु होने से पहले परन्तु उन अंशदान अवधि में जिसमें चोट लगी होने वाली प्रथम मजदूरी अवधि के समाप्त होने के बाद लगी चोट।	यदि चोट प्रथम हितलाभ अवधि शुरू होने से पहले और उस अंशदान अवधि में जिसमें चोट लगी आने वाली प्रथम मजदूरी अवधि समाप्त होने के पहले लगी हो।
क	ख	ग
1.       वह हितलाभ अवधि, जिसमें रोजगार         चोट लगी हो।	<ol> <li>अंशदान अवधि, जिसमें चोट लगी तक</li> <li>यदि नियुक्त कर्मचारी समय-दर के आधार पर हो।</li> <li>(i) मजदूरी की वह राशि जोकि चोट ग्रस्त व्यक्ति को उस समय देय हो जबकि उसने उपर्युक्त (i) पर बताई गई अंशदान अवधि में समाप्त होने वाली प्रथम पूर्ण मजदूरी अविध में सभी कार्य दिवसों में कार्य किया होता रु</li></ol>	<ol> <li>मजदूरी की राशि जो वास्तव में अर्जित की या जो उसने तब अर्जित की होती जबकि चोटग्रस्त व्यक्ति ने दुर्घटना के दिन पूरा दिन काम किया।</li> <li>रू</li></ol>
रू	5. औसत दैनिक मजदूरी रु	2. औसत दैनिक मजदूरी रु
[1] मजदूरी ग्रुप के अनुरूप दैनिक मानक हित [2] अस्थायी अपंगता हितलाभ की दैनिक दर. तैयार किया जांच की गई	<del>र</del> ु.	अंशदान विवरणी मजदूरी रिकार्ड से जांच की गई तथा सही पाया गया। जांच अधिकारी अनुमोदन कर्ता प्रबन्धक शाखा कार्यालय